झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

शुद्धि–पत्र

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची की अधिसूचना संख्या–3019 दिनांक 30.06.2012 के क्रमांक–31 में श्री विमल कुमार शर्मा के नाम के सामने स्तम्भ–04 में अंकित उनके नव पदस्थापन स्थान "सहायक अभियंता, सुवर्णरेखा बाँध अवर प्रमंडल सं०–02, चाण्डिल" के स्थान पर "सहायक अभियंता, सुवर्णरेखा बाँध अवर प्रमंडल सं०–08, चाण्डिल" पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष कंडिकाएँ पूर्ववत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 02/स्था॰(विविध) 07–18/2012 3737 रॉंची, दिनांक :– 31-7-12

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को (सी॰डी॰सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 02/स्था॰(विविध) 07–18/2012–3737 रॉंची, दिनांक :– 31-7-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉंची/अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉंची/ माननीय उप मुख्यमंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ सचिव मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉंची/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक अभियंता, संबंधित सभी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/यो॰, 07/ब॰, 08ए॰, 08बी॰ एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

शुद्धि–पत्र

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची की अधिसूचना संख्या–3019 दिनांक 30.06.2012 के क्रमांक–211 में श्री देवनन्दन प्रसाद, सहायक अभियंता के नाम के सामने स्तम्भ–04 में अंकित नव पदस्थापन स्थान ''सहायक अभियंता(यॉत्रिक), लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह'' के स्थान पर ''सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल, गिरिडीह (लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह) पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष कंडिकाऐं यथावत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 02 / स्था॰(विविध)–07–18 / 2012–3739 रॉची, दिनांक :– 31-7-12

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को (सी॰डी॰ सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 02 / स्था॰(विविध)–07–18 / 2012 3739 रॉची, दिनांक :– 31-7-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीय उप मुख्यमंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ संबंधित सभी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संयाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/यो॰, 07/ब॰, 08ए॰, 08बी॰ एवं 14 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

शुद्धि–पत्र

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–3019 दिनांक 30.06.2012 के क्रमांक–09 में श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा के नाम के सामने स्तम्भ–04 में अंकित उनके नव पदस्थापन स्थान "सहायक अभियंता, सुवर्णरेखा बाँध अवर प्रमंडल सं०–01, चाण्डिल" के स्थान पर "प्राक्कलन पदाधिकारी, सुवर्णरेखा बाँध अवर प्रमंडल सं०–02, चाण्डिल" पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष कंडिकाऐं यथावत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 02/स्था०(विविध)–07–18/2012–3736 राँची, दिनांक :– 31-7-12

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी०डी० सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

ह०/-

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 02/स्था०(विविध) 07–18/2012–3736 राँची, दिनांक :– 31-7-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीय उप मुख्यमंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सहायक अभियंता/ संबंधित सभी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संयाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/यो०, 07/ब०, 08ए०, 08बी० एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

D:\PRAMOD 1\Under Sec\Noti. 2012\Sudhi Patra 26-07-12.doc

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

शुद्धि–पत्र

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची की अधिसूचना संख्या–3019 दिनांक 30.06.2012 के क्रमांक–186 के स्तम्भ 02 एवं 03 मे अंकित क्रमशः उनके नाम "श्री सुरेन्द्र चन्द्र साह" एवं वर्तमान पदस्थापन "सहायक अभियंता, लघु वितरणी अवर प्रमंडल सं॰–03, मानगो" के स्थान पर उनके नाम "श्री सुरेश चन्द्र साह" एवं वर्तमान पदस्थापन सहायक अभियंता, लघु वितरणी अवर प्रमंडल सं॰–03, मानगो, जमशेदपुर" पढा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष कंडिकाऐं यथावत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 02 / स्था॰(विविध)–07–18 / 2012– 3735 रॉंची, दिनांक :– 31-7-12

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को (सी॰डी॰ सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियॉं कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

ह०/-

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 02 / स्था॰(विविध)–07–18 / 2012– 3755 रॉंची, दिनांक :– 31-7-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉंची/ अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉंची/ माननीय उप मुख्यमंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉंची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ संबंधित सभी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संयाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 / यो॰, 07 / ब॰, 08ए॰, 08बी॰ एवं 14 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉंची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

शुद्धि–पत्र

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–3019 दिनांक 30.06.2012 के क्रमांक–182 में श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, सहायक अभियंता के नाम के नीचे अंकित उनका गृह जिला ''मुजफ्फरपुर'' के स्थान पर उनका गृह जिला ''सारण'' पढा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष कंडिकाऐं यथावत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 02 / स्था॰(विविध)–07–18 / 2012– 3734 राँची, दिनांक :– 31-7-12

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी॰डी॰ सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 02 / स्था॰(विविध)–07–18 / 2012– 3734 राँची, दिनांक :– 31-7-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीय उप मुख्यमंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सहायक अभियंता/ संबंधित सभी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संयाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/यो॰, 07/ब॰, 08ए॰, 08बी॰ एवं 14 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

झारखण्ड सरकार
<u>*जल संसाधन विभाग*</u>

शुद्धि–पत्र

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–3019 दिनांक 30.06.2012 के क्रमांक 143 में श्री राजेश कुमार, सहायक अभियंता के नाम के नीचे स्तम्भ–02 में अंकित उनके आई॰डी॰ सं॰–3418, जन्म तिथि 15.12.62 एवं गृह जिला– राँची के स्थान पर "आई॰डी॰ सं॰–3251, जन्म तिथि 28.03.62 एवं गृह जिला– पलामू " पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष कडिकाऐं पूर्ववत् रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक : 02/स्था॰(विविध) 07–18/2012– 3732 राँची, दिनांक 31-7-12

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी॰डी॰ सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

ह०/-

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक : 02/स्था॰(विविध) 07–18/2012– 3732 राँची, दिनांक 31-7-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ अवर सचिव, वित (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीय उप मुख्यमंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियो में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सहायक अभियंता/ संबंधित सभी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/यो॰, 07/ब॰, 08ए॰, 08बी॰ एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)

D:\PRAMOD\...\Under Sec Noti. 2012 Sudhi Patra ... .doc

झारखण्ड सरकार
<u>जल संसाधन विभाग</u>

<u>शुद्धि–पत्र</u>

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची की अधिसूचना संख्या–3019 दिनांक 30.06.2012 के क्रमांक–196 में श्री द्वारिका प्रसाद साह के नाम के सामने स्तम्भ–02 एवं 03 में अंकित क्रमशः वर्तमान पदस्थापन पदस्थापन "सहायक अभियंता, सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, देवघर एवं नव पदस्थापन स्थान "सहायक अभियंता(यॉत्रिक), यॉत्रिक प्रमंडल, चांडिल" के स्थान पर इनका वर्तमान पदस्थापन स्थान "अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिंचाई यॉत्रिक अवर प्रमंडल सं०–04, सिकटिया (देवघर) एवं नव पदस्थापन स्थान "सहायक अभियंता (यॉत्रिक), यॉत्रिक अवर प्रमंडल सं०–02, चांडिल" पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष कंडिकाऐं यथावत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(signature)

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 02/स्था॰(विविध)–07–18/2012– 3705 रॉची, दिनांक :– 30-7-12

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को (सी॰डी॰ सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियॉ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(signature)

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 02/स्था॰(विविध)–07–18/2012– 3705 रॉची, दिनांक :– 30-7-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीय उप मुख्यमंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ संबंधित सभी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संयाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/यो॰, 07/ब॰, 08ए॰, 08बी॰ एवं 14 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(signature)

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

झारखण्ड सरकार
<u>जल संसाधन विभाग</u>

शुद्धि–पत्र

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–3019 दिनांक 30.06.2012 के क्रमांक 12 स्तम्भ 02 में श्री अजय नाथ ठाकुर, सहायक अभियंता के नाम के नीचे अंकित उनका "आई०डी०सं० 3818 एवं जन्म तिथि 18.02.63" के स्थान पर उनका "आई०डी०सं०–3389 एवं जन्म तिथि 08.02.63" पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :- 02/स्था॰(विविध) 07–18/2012– राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी॰डी॰ सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :- 02/स्था॰(विविध) 07–18/2012–3389 राँची, दिनांक :- 28-7-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीय उप मुख्यमंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव मंत्रिमंडल(निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख 01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक अभियंता/ संबंधित सभी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/सी॰ 07/ब॰, 08/ए॰, 08/बी॰ एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र0)